



EVM के माइक्रोकंट्रोलर्स का सत्यापन करेगा ECI

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

हाल ही में [भारत नरिवाचन आयोग \(Election Commission of India-ECI\)](#) ने [इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन \(EVM\)](#) और [वोटर वेरिफिबल पेपर ऑडिट ट्रेल \(VVPAT\)](#) प्रणालियों की [बर्न मेमोरी \(या माइक्रोकंट्रोलर्स\)](#) के सत्यापन के लिये मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure- SOP) जारी की है।

- [एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रफॉर्मर्स बनाम भारत नरिवाचन आयोग वाद, 2024](#) में [सर्वोच्च न्यायालय](#) के आदेश के बाद, नरिवाचन आयोग ने दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के लखित अनुरोध पर वधानसभा तथा लोकसभा नरिवाचन क्षेत्रों में 5% तक [EVM और VVPAT माइक्रोकंट्रोलर्स के सत्यापन की अनुमति](#) दी है।
- प्रत्येक मशीन पर 1,400 वोट तक का मॉक पोल आयोजित किया जाएगा और यदि परिणाम VVPAT प्रणालियों के साथ सुमेलित होते हैं, तो यह संकेत देगा कि [बर्न मेमोरी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं](#) की गई है तथा उन्हें सत्यापित माना जाएगा।
 - हालाँकि विसंगतियों से निपटने की प्रक्रिया अभी भी अनिश्चित है।
- तकनीकी SOP इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाने वाली दो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (PSUs)- [भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड \(BEL\)](#) और [इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड \(ECIL\)](#) द्वारा तैयार की गई थी।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM):

- इसमें 2 भाग होते हैं, एक [कंट्रोल यूनिट \(CU\)](#) और एक [बैलट यूनिट \(BU\)](#)।
 - बैलट यूनिट (BU) मतदाताओं को अपना वोट डालने की अनुमति देती है और उम्मीदवारों तथा उनसे संबंधित प्रतीकों को दर्शाती है, जबकि कंट्रोल यूनिट (CU) बैलट यूनिट का प्रबंधन करती है व डेटा को प्रोसेस करती है।
- पहली बार EVM का उपयोग [वर्ष 1982](#) में केरल के पारवूर वधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में किया गया था।

भारत में चुनाव सुधार

चुनाव सुधार, निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये किये गये बदलाव हैं।

वर्ष 1996 से पूर्व में हुए चुनाव सुधार

- Ⓐ **आदर्श आचार संहिता (1969):** राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिये चुनाव संबंधी दिशा-निर्देश
- Ⓐ **61वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1988):** मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना
- Ⓐ **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) (1989):** अलग-अलग रंगीन मतपेटियों से मतपत्रों में और बाद में EVM में परिवर्तन
- Ⓐ **बूथ कैप्चरिंग (1989):** ऐसे मामलों में मतदान स्थगित करने या चुनाव रद्द करने का प्रावधान
- Ⓐ **मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) (1993):** मतदाता सूची पंजीकृत मतदाताओं को EPIC जारी करने का आधार है।
- Ⓐ **भारत का निर्वाचन आयोग- एक बहु-सदस्यीय निकाय (1993):** मुख्य निर्वाचन आयुक्त के आलावा अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति

वर्ष 1996 का चुनाव सुधार

- Ⓐ **उप-चुनाव के लिये समय-सीमा:** विधानसभा में किसी भी रिक्ति के 6 माह के अंदर चुनाव को अनिवार्य किया गया
- Ⓐ **उम्मीदवारों के नामों की सूची:** चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को लिस्टिंग के लिये 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है:
 - Ⓐ मान्यता प्राप्त और पंजीकृत-गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल
 - Ⓐ अन्य (स्वतंत्र)
- Ⓐ **राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के आधार पर अपमान करने पर अयोग्यता:** 6 वर्ष के लिये चुनाव में अयोग्यता हो सकती है:
 - Ⓐ भारत के राष्ट्रीय ध्वज, संविधान का अपमान करना या राष्ट्रगान गाने से रोकना

वर्ष 1996 के पश्चात् चुनाव सुधार

- Ⓐ **प्रॉक्सी वोटिंग (2003):** सेवा मतदाता सशस्त्र बलों और सेना अधिनियम के अंतर्गत आने वाले बल चुनाव में प्रॉक्सी वोट डाल सकते हैं।
- Ⓐ **इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय का आवंटन (2003):** जनता को संबोधित करने के लिये चुनावों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय का समान बंटवारा।
- Ⓐ **EVM में ब्रेल संकेत विशेषताओं का परिचय (2004):** दृष्टिबाधित मतदाताओं को बिना किसी परिचारक के अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान करना

वर्ष 2010 के चुनाव सुधार

- Ⓐ विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार (2010)
- Ⓐ मतदाता सूची में ऑनलाइन नामांकन (2013)
- Ⓐ नोटा विकल्प का परिचय (2014)
- Ⓐ **मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) (2013):** स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये EVM के साथ VVPAT की शुरुआत
- Ⓐ **EVM और मतपत्रों पर उम्मीदवारों की तस्वीरें (2015):** उन निर्वाचन क्षेत्रों में भ्रम से बचने के लिये जहाँ उम्मीदवारों के नाम एक समान होते हैं
- Ⓐ **चुनाव बॉन्ड की शुरुआत (2017 बजट):** राजनीतिक दलों के लिये नकद दान का एक विकल्प
 - Ⓐ SC द्वारा असंवैधानिक घोषित (2024)
- Ⓐ इलेक्ट्रॉनिक मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) का आरंभ (2021)
- Ⓐ दिव्यांगजनों और 85 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिये होम वोटिंग (2024)

महत्त्वपूर्ण समितियाँ/आयोग

समितियाँ/आयोग	वर्ष	उद्देश्य
■ तारकुंडे समिति	1974	■ जय प्रकाश नारायण (जेपी) द्वारा "संपूर्ण क्रांति" आंदोलन के दौरान।
■ दिनेश गोस्वामी समिति	1990	■ चुनाव सुधार
■ वोहरा समिति	1993	■ अपराध और राजनीति के बीच गठजोड़ पर
■ इन्द्रजीत गुप्ता समिति	1998	■ चुनावों का राज्य वित्त पोषण
■ द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग	2007	■ शासन में नैतिकता पर रिपोर्ट (वीरप्पा मोडली की अध्यक्षता में)
■ तन्खा समिति (कोर कमेटी)	2010	■ निर्वाचन विधि और चुनाव सुधारों के संपूर्ण पहलू पर विचार करना।

